

प्राारूप

मोटर वाहन अधिनियम - 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

बुक क्रमांक 906

रसीद क्रमांक

45265

उ0प्र0 पुलिस/यातायात पुलिस

वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी/निवासिनी

उल्लंघन करने का स्थान

थाना क्षेत्र

दिनांक 27-7-18

समय 11:50

वाहन संख्या HR-SSACR9A

वाहन की किस्म

कार

परमिट संख्या

परमिट की वैधता

ड्राइविंग लाईसेंस सं0

लाईसेंस का प्रकार

वैधता

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध - पत्र

मैं श्री/श्रीमती

मोहन कुमार

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

विष्णु शर्मा

निवास स्थान

मोहन नगर

जिला

मोहन नगर

का निवासी/निवासिनी हूँ

इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक

27-7-18

समय 10 बजे प्रातः को

मोहन नगर

न्यायालय में उपस्थित होकर वहां अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात का बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित दण्ड/जुर्माना के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा
1-	खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का अपराध	धारा 184 M.V. Act
2-	बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने का अपराध	धारा 138(b) "
3-	मोहन नगर को कागज जदी गये थे -	धारा 207 M.V. Act के अन्तर्गत
	सीट की जाँच की	

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

सीट

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की हस्ताक्षर मालिक/चालक

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व पद नाम

थाना (नियुक्ति स्थान)

जनपद - गौतमबुद्धनगर

दिनांक 27/7/18